यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून** के माह 07/2012 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अभेन्दर वरिष्ठ लेखापरीक्षक तथा श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 01.05.2018 से 11.05.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है| वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2012 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-कार्यालय महानिदेशालय,विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा तीनों निदेशकों का समन्वय एवं नियन्त्रण कार्य किया जाता है| उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा के समूह क एवं ख के सभी अधिकारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण, शासन से समन्वय, सर्व सिक्षा अभियान, रमसा, साक्षरता का अनुश्रवण एवं भारत सरकार से संचालित एवं राज्य सहायतित, अन्य समस्त योजनयों में भारत सरकार से समन्वय एवं अनुश्रवण तथा राज्य स्तर पर प्रभारी के कार्य का निर्वाहन किया जाता है। वार्षिक प्लान/ बजट/ निर्माण सम्बन्धी कार्य जो 01 करोड़ से अधिक या कोई परियोजना हो का अनुमोदन एवं शासन को प्रेषण तथा मिनिस्ट्रियल कार्मिको के स्थानांतरण, पदोन्नति का अनुमोदन सम्बन्धी कार्य किए जाते है।

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त उत्तराखण्ड राज्य है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**(+)**	**(-)**
2012-13	0	0	63.93	25.43	0	0	0	38.50
2013-14	0	0	130.91	92.49	0	0	0	38.42
2014-15	0	0	162.55	123.00	0	0	0	39.55
2015-16	0	0	169.27	118.77	0	0	0	50.50
2016-17	0	0	175.02	128.73	0	0	0	46.29
2017-18	0	0	189.11	172.74	0	0	0	16.37

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य(+)**	**बचत(-)**
2012-13 से 2017-18	सूचना शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई अ श्रेणी की है। **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

1. सचिव
2. अपर सचिव/महानिदेशक
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा/ निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/ निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण
4. सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/ मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा/ मंडलीय अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/ अपर निदेशक (एस सी ई आर टी)/ अपर निदेशक सीमैट
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी/ प्राचार्य (डायट/डी आर सी)
6. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा/ जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी/ उप शिक्षा अधिकारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखंड, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखंड, देहरादून, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2017, 10/2014 व 04/2013 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 1:- महानिदेशालय द्वारा योजनाओं के पर्याप्त अनुश्रवण के अभाव में योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन न हो पाना।

विद्यालयी शिक्षा विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या xxiv-2/ 2012-6(3)/ 2012 दिनांक 09 अक्तूबर 2012 के अनुसार महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड का कार्य भारत सरकार से संचालित एवं राज्य सहायतित योजनाओं का अनुश्रवण किया जाना था।

विधालयी शिक्षा विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के लेखा अभिलेखों में से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनांतरगत संचालित आई०सी०टी०(Information & communication technology) के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि इस योजना के संचालन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार थे:-

1 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं में आई० सी०टी० के प्रति रुझान उत्पन्न करना।

2 शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में आई०सी०टी० टूल का उपयोग कर पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विद्या को समृद्ध करना।

3 छात्रों के अंदर आई०सी०टी० का उपयोग करने की क्षमता को विकसित करना।

4 कम्प्यूटर तथा स्मार्ट क्लास की मदद से शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाना।

5 समस्त अध्यापकों का कम्प्यूटर विषय में आधारभूत तथा पुनबोधात्मक प्रशिक्षण के द्वारा जानकारी प्रदान करना।

आई०सी०टी० के अंतर्गत किए जाने वाले मुख्य कार्य निम्न प्रकार थे:-

विद्यालय में कम्प्युटर लैब, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था करना, कम्प्युटर शिक्षा प्रदान करना। शिक्षकों को आई०सी०टी० में प्रशिक्षित करना, पाठ्यक्रम हेतु e-content विकसित करना। कम्प्युटर लैब में उपकरणों का रखरखाव, इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा अन्य सहवर्ती उपकरणों की व्यवस्था करना इत्यादि।

महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड के वर्ष 2017-18 के प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार उक्त योजना पर वर्ष 2010-11 से कार्यवाही चल रही थी एवं विभिन्न फ़र्मों के माध्यम से देश के 18 राज्यों में आई०सी०टी० योजना का संचालन किया जा रहा था।

शिक्षा विभाग, उत्तराखंड के आई०सी०टी० योजना के विगत तीन वर्षों के आवर्ती व्यय विवरण के अनुसार व्यय शून्य पाये गए जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

(₹ लाख में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18
आरंभिक शेष	238.17	274.73	322.62
वर्ष में प्राप्ति	-	-	-
ब्याज	36.56	47.89	40.70
योग	274.73	322.62	363.33
व्यय	-	-	-

अंतिम शेष	274.73	322.62	363.33

इसी प्रकार अपवर्ती मदों में भी विगत तीन वर्षों में ₹666.67 लाख का अवशेष यथावत था साथ ही इस पर किसी प्रकार का ब्याज भी अर्जित नहीं किया जा रहा था।

लेखा परीक्षा द्वारा उक्त योजना के संबंध में व्यय न किया जाने के कारणो के संबंध में पूछे जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबन्धित अभिलेख महानिदेशालय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। समस्त अभिलेख रमसा कि लेखापरीक्षा के दौरान उन्ही के स्तर से उपलब्ध कराये जाएंगे।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार से संचालित समस्त योजनाओं में भारत सरकार से समन्वय एवं अनुश्रवण से संबन्धित समस्त कार्य एवं दायित्व विभाग के पास ही थे ऐसे में उक्त योजना के संबंध में विभाग के उत्तरदायित्व को नकारा नहीं जा सकता।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……Nil……

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य।
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र0सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	डा. निधि पाण्डे	महानिदेशक	28-06-11 से 03-05-12
2.	श्री पी एस जंगपांगी	महानिदेशक	07-05-12 से 24-06-12
3.	श्री आर के सुधांशु	महानिदेशक	25-06-12 से 04-04-13
4.	श्री पी एस जंगपांगी	महानिदेशक	05-04-13 से 01-09-13
5.	श्रीमती राधिका झा	महानिदेशक	02-09-13 से 11-01-15
6.	डी सैन्थिल पाण्डेन	महानिदेशक	12.01.15 से 03-08-16
7.	रंजना	महानिदेशक	05-08-16 से 07-12-16
8.	श्री दीपेन्द्र चौधरी	महानिदेशक	09-12-16 से 27-04-17
9.	कैप्टन आलोक शेखर तिवारी	महानिदेशक	28-04-17 से अविरल

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी